P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-6* February (Part2) * 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

महिला सशक्तिकरण : संवैधानिक प्रावधान

सारांश

महिलाओं के अधिकारों हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कानून व अधिकारों प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान में महिलाओं को पूर्ण संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। महिलाओं के मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 व 22 में वर्णित है। महिलाओं को इन कानूनों व अधिकारों की जानकारी के लिए प्राथमिक स्तर से उन्हें शिक्षित किया जाना जरूरी है साथ ही उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए एवं उन्हें समाज में हर स्तर पर उपयुक्त स्थान व भागीदारी मिलनी चाहिए। महिलाओं की समान भागीदारी से लैंगिक असमानता भी समाप्त होगी तथा समान नागरिक लक्ष्य की प्राप्ति होगी और वे सशक्त होगी।

मुख्य शब्द : संवैधानिक, संरक्षण, सांस्कृतिक, स्वतंत्रता, भागीदारी, असमानता।

मधु जायसवाल
शोधार्थी,
शिक्षा विभाग,
कैरियर पॉइन्ट युनिवर्सिटी
कोटा (राजस्थान), भारत

सपना जोशी
जे.एल.एन.पी.जी.टी.टी. कॉलेज
कोटा (राजस्थान), भारत

प्रस्तावना

'किसी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है वहाँ की महिलाओं की स्थिति है। अगर आप चाहते हैं कि आप महान बनें तो इसके लिए आपके घर की महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है।'

—स्वामी विवेकानंद

स्वामी विवेकानंद के अनुसार महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा की अहम भूमिका है। शिक्षित महिलाएं न केवल स्वयं आत्मनिर्भर होती है अपितु उनसे भावी पीढ़ियाँ भी लाभांवित होती है। शिक्षा ऐसी सम्पत्ति है जिसे छीना नहीं जा सकता है। महिला को सशक्त बनाने के लिए शहरों, गांवो और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार तेजी से किया जा रहे हैं ताकि वे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बना सके, देश के विकास की मुख्यधारा में अपना योगदान दे सकें और अपने परिवार को शिक्षित कर उसे आर्थिक संबल प्रदान कर सके।

महिला राष्ट्र के विकास की केन्द्रीय शक्ति है। इसको सशक्त व समृद्ध बनाने का अर्थ है प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करना। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिला शक्ति का विकास करना । ताकि वे स्वावलम्बनपूर्वक अपनी शक्तियों का स्वयं तथा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयोग कर सकें। इसके लिए आवश्यक है कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 8 मार्च को महिला सशक्तिकरण दिवस घोषित किया है। तभी से प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को पूरे विश्व में 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' मनाया जाता है। जिसमें महिलाओं को सशक्त जागरूक करने के लिए एक थीम रखी जाती है। पिछले वर्ष 2018 में 'प्रेस फॉर प्रोगेस' थीम का उद्देश्य भारत की महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों से परिचित कराना ताकि वे भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें। भारत में वर्ष 2001 से 'महिला सशक्तिकरण' हर वर्ष मनाया जाता है।

स्वतंत्रता से पूर्व महिलाओं की स्थिति

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेज भारत के शासक बने रहे। ब्रिटिश शासन की अवधि में हमारे समाज की सामाजिक व आर्थिक संरचनाओं में अनेक परिवर्तन किए गए। यद्यपि ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों की अवधि में स्त्रियों के जीवन में अदृश्य सुधार हुआ। स्त्रियों को शिक्षा दिए जाने का विचार ब्रिटिश शासन काल में उदय हुआ। 1824 में पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल बम्बई में प्रारंभ हुआ। उस समय भारतीय समाज में सती प्रथा, बाल, विवाह, दहेज प्रथा, विधवा पुर्नविवाह निषेध, पर्दा प्रथा जैसी अनेक कुरितियों का प्रचलन था। भारत के तत्कालीन समाज सुधारक जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर तथा महात्मा गांधी आदि ने स्त्रियों की शैक्षिक और सामाजिक स्थिति में उन्नयन के लिए प्रयास किए। 1850 में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा के लिए अंग्रेजी

सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई। गवर्नर जनरल 'लार्ड डलहौजी' वुड घोषणा पत्र सन 1854 में दिया। इसे शिक्षा का 'मेग्नाकार्टा' कहा जाता है, इसमें पुरूषों व महिलओं को समान रूप से शिक्षा देने की बात कही गई। 1882–83 में भारतीय शिक्षा आयोग जिसकी नियुक्ति लार्ड रिपन ने डब्ल्यू हन्टर की अध्यक्षता में की गई। इसमें बालिकाओं को शिक्षा व्यवसाय के प्रति आकृष्ट करने हेतु महिला प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की गई, साथ ही बालिकाओं को विद्यालय की ओर आकर्षित करने के लिए अधिक अनुदान, छात्रवृत्तियाँ और पुरस्कार दिए जाने की बात कही गई। चन्द्रमुखी बसु, कादम्बिनी, गांगुली और आनंदी गोपाल जोशी जैसी भारतीय महिलाएँ, जिन्होंने शैक्षणिक डिग्रियाँ हासिल की। 1917 में महिलाओं के पहल प्रतिनिधि मंडल ने महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों की मांग के लिए विदेश सचिव से मुलाकात की। 1927 में 'अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन' पुणे में आयोजित कर स्त्री शिक्षा की मांग को जाने लगी। 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से 'बाल विवाह निषेध अधिनियम' को पारित किया गया जिसके अनुसार एक लड़की के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निधारित की गई। भारत की आजादी के संघर्ष में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस दौर में भिकाजी कामा, डॉ. एनी बेसेंट, प्रीतिलता वाडेकर, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी, अमृताकौर, अरुना आसफ अली, सुचेता कृपलानी और कस्तूरबा गांधी जैसी कुछ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी। अन्य उल्लेखनीय नामों में मधुलक्ष्मी रेडडी, दुर्गाबाई देशमुख का नाम भी शामिल है। सुभाषचंद्र बोस की 'इंडियन नेशनल आर्मी' में एक महिला रेजीमेंट 'झाँसी की रानी रेजीमेंट' थी जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी सहगल के हाथों में थी। एक कवियत्री और स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली भारत की पहली महिला थी और ये भारतवर्ष के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला बनी। इन सबके बावजूद भी 1947 से पहले 50 प्रतिशत लड़कियाँ मिश्रित विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करती थी।

वर्तमान में महिलाओं हेतु संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार पुरुषों की तरह सभी क्षेत्रों में महिलाओं को बराबर अधिकार दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता के अनुच्छेद 15(03) में जाति, धर्म लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करना अनुच्छेद 16(1) में लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता, अनुच्छेद 19(01) में समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतत्रता अनुच्छेद 21 में स्त्री एवं पुरूष दोनों को प्राण व दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करने के प्रावधान किये गये। अनुच्छेद 23-24 में स्त्री व पुरूष दोनों को शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है । अनुच्छेद 25–28 में धार्मिक स्वतंत्रता दोनों को समान रुप से प्राप्त है, अनुच्छेद 29–30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनच्छेद 39–घ में पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज संस्थाओं में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 41 में बेकारी, बीमारी और अन्य अनर्ह अभावो की दशाओं में सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 42 में महिलाओं हेतु प्रसुति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था, अनच्छेद 47 में पोषाहार जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य सुधार कराना सरकार का दायित्व अनुच्छेद 51–क(5) में भारत के सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो अनच्छेद 33–क में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवरथा, अनुच्छेद 332–क में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं की रक्षाए, समानता एवं आरक्षण हेतु पारित किए गये अधिनियम–

1. बंगाल सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829
2. हिन्दु विधवा पुर्नविवाह अधिनियम, 1856 भारतीय दण्ड संहिता 1860, धारा 354, 366ए, 366बी, 373, 373ए, 373बी, 373सी, 373डी, 404, 495, 476
3. महिला एवं शिशु हत्या अधिनियम, 1869
4. भारतीय विवाह–विच्छेद अधिनियम, 1870
5. विशेष विवाह अधिनियम, 1872 एवं 1954
6. सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम, 1882 धारा 6डी, धारा 39
7. आपराधिक आचार दण्ड संहिता 1898 धारा 48, 52, 382
8. बाल विवाह निषेध अधिनियम 1901 गायकवाड-बडौदा
9. सिविल प्रोसिजर कोड 1908 धारा 55 56 60
10. लीगल प्रक्टिशनर्स महिला संशोधन अधिनियम 1923
11. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925
12. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1926 (1986 में संशोधन)
13. हिन्दू महिला सम्पति अधिनियम 1937
14. मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939
15. हिन्दू महिला पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिकार अधिनियम 1946
16. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948
17. कारखाना अधिनियम 1948 धारा 27 48 66बी
18. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
19. हिन्दू नाबालिग तथा साक्षरता अधिनियम 1956
20. हिन्दू गोद लेना तथा भरण पोषण अधिनियम 1956
21. हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956
22. महिलाओं एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम, 1956
23. दहेज निरोधक अधिनियम, 1981 (संशोधन 1984 एवं 1986)
24. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1971
25. अपराध दण्ड संहिताण् 1974 धारा 47(2), 51(2), 95, 125, 160(1), 360(1) 418
26. समान मजदूरी अधिनियम, 1976
27. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एमेण्डमेन्ट एक्ट, 1976 आदेश 32(ए)

28. अपराधी कानून संशोधन अधिनियम, 1983
29. परिवार न्यायालय, 1985
30. मुस्लिम महिला तलाक संबंधी संरक्षण अधिनियम, 1986
31. मानवाधिकार घोषणाए 10 दिसम्बर 1985
32. भारतीय संविधान अनुच्छेद 14, 15, 16, 42 51, 49
33. संयुक्त राष्ट्र महासभा घोषणा एवं महिला विभेद उन्मूलन 1967
34. राष्ट्रीय महिला नीति 1986
35. राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति, 2006
36. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रग्नेसी एक्ट, 1987
37. बालविवाह रोकथाम अधिनियम, 2006
38. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2006
39. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण अधिनियम, 2013

महिला सशक्तिकरण हेतु महिला आयोग व अन्य महिला संगठनों की भूमिका

महिला आयोग

18 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला अयोग की स्थापना की गई तथा ग्रामीण महिलाओं के कल्याण के लिए हर राज्य में महिला आयोग की शाखा का गठन किया गया। महिला आयोग का मख्य कार्य महिलाओं को संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा प्रदान करना अर्थात महिलाओं को न्याय दिलाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनकी आधिकारिता को बल पहुंचाना तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना है। इसमें 20 से 40 सदस्य हैं।

नारी मुक्ति संघ

यह संगठन नारी शोषण के विरुद्ध व नारी उत्थान के लिए कार्य करता है। इसका कार्यक्षेत्र छत्तीसगढ़ दिल्ली झारखंड और पश्चिम बंगाल है। इस संगठन का उद्देश्य समाज में महिलाओं के लिए जगह बनाना है ताकि वे सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा सके। नारी मुक्ति संघ के कार्यकर्ता गांव–गांव जाकर महिलाओं को जागृत एवं शिक्षित करते हैं। महिला यौन उत्पीडन होने पर यह जनता की अदालत लगाकर न्याय प्रदान करते हैं।

भारतीय ग्रामीण महिला संघ

भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना 1955 में हुई थी। यह एक गैर राजनैतिक संगठन है जो महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में कार्यरत है। भारत में 14 प्रदेशों में क्रियाशील है। साथ ही यह 'एसोसियेट्स कंट्री वूमन 'एसोसियेट्स कंट्री वूमन ऑफ दी वर्ल्ड' (ए.सी.डब्ल्यू. डब्ल्यू) से संबंधित है जो कि विश्व में ग्रामीण महिलाओं के संदर्भ में सबसे बड़ा संगठन है एवं संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को महिलाओं के संदर्भ में सुझाव भी प्रदान करता है। इस संगठन का उद्देश्य महिलाओं का कल्याण उत्थान एवं सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करना है।

भारतीय स्वरोजगार महिला संगठन (एस.इ.डब्ल्यू.ए)

यह गरीब और स्वरोजगार महिला श्रमिकों के संदर्भ में एक व्यवसायिक संघ है। इसकी स्थापना 1972 में गांधीवादी एवं जनाधिकारवादी नेता डॉ. इलामह द्वारा की गई। इसका मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है। यह राष्ट्र के विभिन्न राज्यों में कार्यरत है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिला श्रमिकों को शोषण से मुक्त कर पूर्ण रोजगार के लिए संगठित करना है ताकि उनके श्रम का शोषण न हो सके। इसके दो लक्ष्य है पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण विश्वास।

श्री महिला ग्रामोद्योग

यह घरों में उपयोग में लाई जाने वाली खाद्य सामग्रियों के उत्पादों से संबंध रखने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1959 में 80 रूपये की पूजी से हुई थी। 2010 में इसका वार्षिक टर्नओवर 6.5 अरब रूपये रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार के माध्यम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है इसके अलावा यह संगठन अपनी सदस्य महिलाओं का शिक्षा एवं कम्प्यूटर शिक्षा भी उपलब्ध करवाता है।

सहेली महिला संगठन

इसकी स्थापना 1981 में नई दिल्ली में हुई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य उन महिलाओं के लिए संघर्ष करना है जो वैवाहिक हिंसा, घरेलू हिंसा, दहेज हिंसा, यौन उत्पीडन बलात्कार साम्प्रदायिक हिंसाए असमानता एवं लैंगिक भेदभाव, अस्वस्थता या अत्याचार का शिकार हुई है। इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां महिलाओं को अपनी समानता एवं अधिकार के लिए संघर्ष न करना पड़े। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में इसकी सराहनीय भूमिका रही जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में वृहद मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये। इसके तहत कार्यस्थल पर महिलाओं हेतु यौन शोषण अधिनियम 2013 लागू हुआ।

अन्नपूर्णा परिवार

अन्नपूर्णा परिवार महाराष्ट्र राज्य में स्थित छः विभिन्न गैर सरकारी महिला संगठनों का समूह है जिसकी शुरूआत एवं विकास अन्नपूर्णा महिला मण्डल संस्था से हुई। इस संगठन का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह संगठन मुम्बई एवं आसपास के क्षेत्र की चयनित महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता का लाभ पहुंचा चुका है जो कि गरीबी और बदहाली में जीवन यापन कर रही थी।

सेंटर फॉर कम्यूनिटी इकॉनमिक एण्ड डवलपमेंट कन्सल्टेंट सोसायटी

यह जयपुर स्थित बहुक्षेत्रिय गैर सरकारी संगठन है। महिला एवं बाल सशक्तिकरण इस संगठन का प्राथमिक लक्ष्य है। यह संगठन राजस्थान जैसे राज्य में कार्य करता है जहां बाल विवाह एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसी गंभीर और खतरनाक सामाजिक कुरितियाँ व्याप्त है। यह संगठन अपनी साथी संस्थाओं के साथ मिलकर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का कार्य करता है।

अतः विभिन्न महिला संगठनों द्वारा महिला उत्थान के संदर्भ में किए गए कार्यों को देखकर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण में महिला आयोग एवं गैर महिला संगठनों की भूमिका अविस्मरणीय एवं सराहनीय है। इन महिला संगठनों ने

एक संरक्षक एवं पहरेदार के रूप में महिला हितों एवं अधिकारों के संरक्षण का पुनीत कार्य किया है। इन संगठनों के माध्यम से स्त्रियाँ उन अधिकारों को प्राप्त करने में सक्षम हो पाई है जिनकी वे अधिकारिणी है। इन महिला संगठनों ने शिक्षा एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता को हथियार बनाकर महिला सशक्तिकरण को एक नवीन दिशा प्रदान की है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत सरकार की विभिन्न योजनाएँ

केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। ये योजनाएं मुख्य रूप से महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वरोजगार एवं अन्य सभी क्षेत्रों में सशक्त बनाने के लिए चलायी जा रही है। इन सभी योजनाओं का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और पर्याप्त शिक्षा प्रदान करना है ताकि उन्हें रोजगार योग्य बनाया जा सके और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। वर्तमान में महिलाओं के लिए निम्नलिखित सरकारी योजनाएं संचालित हैं –

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना

22 जनवरी 2015 से शुरू हुई। इसका लक्ष्य है कि महिला भेदभाव के उन्मूलन और युवा भारतीय लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं पर जागरुकता बढ़ाना।

सुकन्या समृद्धि योजना

यह योजना भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को लागू की गई। इस योजना के अन्तर्गत गरीब माता-पिता को अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिये सरकार पैसा मुहैया करवाती है। कन्या भ्रूण हत्या और कन्याओं के कल्याण के लिए यह योजना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए माता-पिता को अपनी बेटी का नजदीकी बैंक या डाकघर में खाता खुलवाना अनिवार्य होता है। इसमें कन्या का खाता जन्म से लेकर 10 वर्ष तक कभी भी खुलवा सकते हैं। इस योजना से 8.6 प्रतिशत की दर से जमा रकन पर ब्याज मिलता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

महिलाओं को व्यवसाय के क्षेत्र में सहायता करने हेतु यह योजना बनाई गई है। जिसमें महिलाओं के व्यवसाय को एक नई दिशा मिलेगी। इस योजना में लोन का फायदा महिलाएं किसी भी बैंक से उठा सकती हैं।

वैभव लक्ष्मी योजना

महिलाओं को व्यवसाय के क्षेत्र में सहायता करने के लिए सरकार ने लोन देने की कई योजनाएं चलाई है जिसमें वैभव लक्ष्मी योजना मुख्य है। इस योजना के अन्तर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा महिलाओं की सहायता करता है।

भामाशाह योजना

भारत के राजस्थान राज्य में राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए भामाशाह योजना की शरुआत की। इस योजना के अनुसार महिलाओं का तीन लाख तक का कोई भी ऑपरेशन हो उसकी राशि सरकार द्वारा वहन की जायेगी। इस योजना के तहत महिलाओं को भामाशाह कार्ड जारी किये जाते हैं ताकि वे इस योजना का लाभ आसानी से उठा सके।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने और महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा उज्जवला योजना चलाई जा रही है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने और महिलाओं को गैस कनेक्शन देकर उनकी सहायता करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का लक्ष्य पांच करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना है।

महिला शक्ति केन्द्र योजना

यह योजना महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए उंब्रेला स्कीन मिशन के तहत महिला एवं बाल विकास द्वारा 2017 में लागू की गई। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने एवं उनकी क्षमता का अनुभव कराने का काम किया जाता है। यह योजना राष्ट्र स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर काम करती है।

नारी शक्ति पुरस्कार

इस स्कीम की शुरुआत 1999 में की गई। केन्द्र सरकार ने भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं और संस्थानों द्वारा किए गए सेवा कार्य को मान्यता प्रदान करने हेतु नारी शक्ति पुरस्कार की स्थापना की। इसमें महिलाओं को अच्छा कार्य करने पर नगद पुरस्कार व प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

वन स्टॉप सेन्टर स्कीम

1 अप्रैल 2015 को निर्भया फंड के साथ लागू की गई। यह योजना भारत के विभिन्न शहरों के अलग. अलग क्षेत्रों में चलायी जा रही है। यह योजना उन महिलाओं को शरण देती है जो किसी प्रकार की हिंसा का शिकार हुई हो।

महिला ई.हाट योजना

यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत चलायी जा रही है। यह योजना महिलाओं को ऑनलाइन मार्केट उपलब्ध करवाती है जिसमें महिलाएं अपने द्वारा बनाये गये कुछ भी सामान या चीजे ऑनलाइन बेच सकती हैं और अच्छा पैसा कमा सकती हैं।

स्वाधार गृह

कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के पुर्नवास के लिए 2002 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्वाधार गृह योजना की शुरूआत की। यह योजना अपेक्षाकृत महिलाओं, लड़कियों की जरूरत के मुताबिक आश्रय भोजन कपड़े और देखभाल प्रदान करती है ।

वर्किंग वूमेन हॉस्टल

इस योजना का उद्देश्य काम करने वाली महिला को सुरक्षित आवास आसानी से उपलब्ध करवाना है जहॉ पर उनके देखभाल, सुविधा एवं जरुरत की हर चीज आसपास उपलब्ध हो। यह योजना शहरी, अर्धशहरी एवं ग्रामीण सभी जगह पर उपलब्ध है। यहीं पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध है ।

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना और दक्षता एवं कौशल प्रदान करना साथ ही महिलाओं का स्वरोजगार उधमी बनने में सक्षम बनाना है। इस योजना के तहत हथकरघा, सिलाई, कढ़ाई जरी आदि हस्तशिल्प कम्प्यूटर और आईटी कार्यस्थल के लिए सॉफ्ट स्किल और कौशल जैसे कथित अंग्रेजी रत्न और आभूषण, यात्रा और पर्यटन आथित्य जैसे कार्यो के लिए सेवाएं प्रदान की जाती है।

निष्कर्ष

महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं में कानूनी समस्याएं नेतृत्व का अभाव, वित्तीय अभाव, अपूर्ण जनसहयोग आदि विभिन्न समस्याएं व्याप्त है। इसके नियाकरण हेतु इन योजनाओं में युवाशक्ति को जोड़नाए वित्तीय अनुदान राष्ट्रीय जागरूकता अभियान, संगठनों एवं सरकार में तालमेल स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि प्रयासों द्वारा महिला सशक्तिकरण के स्वप्न हो पूर्ण किया जा सकता है।

भारत में विभिन्न योजनाओं व कानूनों के बाद भी महिलाओं की स्थिति विकसित देशों की तुलना में बहुत दयनीय है। ग्रामीण इलाकों में आज भी महिलाओं को पुरुषों की जूती के बराबर माना जाता है। इसका मुख्य कारण अशिक्षा, आर्थिक परतंत्रता और महिला अधिकारों के बारे में जानकारी का अभाव है। इसके लिए महिलाओं को शिक्षित करना होगा, शिक्षित होने पर ही उन्हें अपने अधिकारों एवं संवैधानिक कानूनों की जानकारी होगी और वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकेगी और राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में अपना योगदान दे सकेगी। केवल शिक्षा ही महिला को पूर्ण रूप से सशक्त बना सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *जोशी आर.पी, 2003), मानव अधिकार एवं कर्तव्य, नवजीवन पब्लिकेशन हाउस, आगरा।*
2. *शर्मा एवं मिश्रा (2010), महिला विकास, अर्जुन पब्लिकेशन, नई दिल्ली।*
3. *शर्मा पूजा (2012), महिलाएँ एवं मानवाधिकार, सागर पब्लिकेशन, जयपुर।*
4. *शर्मा रमा एवं मिश्रा के. (2012), महिलाओं के मौलिक अधिकार, अर्जुन पब्लिकेशन, नई दिल्ली।*
5. *श्रीवास्तव, राजीव (2009), महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति, समसामयिक महासागर।*
6. *श्रीवास्तव, सुधारनी (2010), भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति, कॉमनवेल्थ, नई दिल्ली।*
7. *http://m.dailyhunt.in>india>*
8. *http://m.hindi.webdunia.com*